बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आ0सं0–22 / नि0सि0(वीर0)–07–21 / 2016 — 26 — पटना, दिनांक– 28-02-2024

आदेश

श्री रजनी रंजन (आई0डी0–जे 10086), कनीय अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, कोपरिया के विरूद्ध परिवादी श्री अविनाश कुमार से प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में पूर्वी कोशी तटबंध में बाढ़ 2016 में कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक के तहत परक्यूपाईन निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से कराई गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत श्री रजनी रंजन, तत0 कनीय अभियंता के विरूद्ध निम्न आरोप के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय आदेश सं0–67 सहपठित ज्ञापांक–1490 दिनांक 13.07.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

<u>आरोप –</u> पूर्वी तटबंध प्रमंडल, कोपरिया के अन्तर्गत बाढ़ अवधि हेतु सुरक्षित भंडार के रूप में रखे निर्मित परक्यूपाईन से तीन अदद कंक्रीट नमूनों का संग्रहण उड़नदस्ता द्वारा किया गया। उक्त संग्रहित तीन नमूनों की शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल–02, खगौल के गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के अनुसार सीमेंट, बालू एवं चिप्स का प्रावधानित अनुपात 1:2:4 के विरूद्ध सीमेंट एवं बालू का अनुपात क्रमशः (i) 1:3:19 (ii) 1:5:95 (iii) 1:4:48 पाया गया। इस प्रकार सीमेंट की मात्रा में कमी क्रमशः 14.53 प्रतिशत, 36.01 प्रतिशत एवं 26.16 प्रतिशत (औसत 25.56 प्रतिशत) होता है। जो तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी विभाग, बिहार के पत्रांक–1045 दिनांक 06.07.1992 में निर्धारित अनुमान्य सीमा (15–20 प्रतिशत) से अधिक है। जिससे न्यून विशिष्टि के परक्यूपाइन निर्माण कराया जाना परिलक्षित होता है। जबकि भुगतान एकरारित दर पर किया गया है। फलतः अनियमित भुगतान का मामला बनता प्रतीत होता है। इस प्रकार न्यून विशिष्टि का परक्यूपाइन निर्माण कराकर विशिष्टि के अनुरूप स्वीकृत प्राक्कलित दर / एकरारित दर पर अनियमित भुगतान करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए निम्न असहमति के बिन्दु पर श्री रजनी रंजन, कनीय अभियंता से विभागीय पत्रांक–1289 दिनांक 06.10.2021 द्वारा अभ्यावेदन की मांग की गई :–

(i) संचालन पदाधिकारी ने तकनीकी परीक्षक कोषांग के पत्रांक–2961 दिनांक 03.12.1990 के आलोक में प्रश्नगत परक्यूपाईन निर्माण कार्य में सीमेंट की मात्रा में औसत 25.56 प्रतिशत की कमी को अनुमान्य सीमा पच्चीस प्रतिशत से थोडा अधिक मानते हुए आरोपी को आंशिक जिम्मेवार माना गया है। जबकि पूर्व से तकनीकी परीक्षक कोषांग के पत्रांक–2961 दिनांक 03.12.1990 की बैधता पर तकनीकी परीक्षक कोषांग से जल संसाधन विभाग द्वारा पत्रांक–2452 दिनांक 28.11.2018 से पृच्छा करने पर तकनीकी परीक्षक कोषांग के द्वारा पत्रांक–628 दिनांक 06.02.2019 से सूचित किया गया है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग का पत्रांक–2961 दिनांक 03.12.1990 निर्गत ही नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में तकनीकी परीक्षक कोषांग के पत्रांक–2961 दिनाक 03.12.1990 की बैधता खत्म हो जाती है। उक्त वर्णित स्थिति में तकनीकी परीक्षक कोषांग का पत्रांक–1045 दिनांक 06.07.1992 वर्तमान में प्रभावी माना जा सकता है। जिसके अनुसार मोर्टार या कंक्रीट Loud से तैयार किया गया है, वहाँ Mixing में समरूपता नहीं होने से 15–20 प्रतिशत तक भिन्न हो सकते माना गया है। प्रस्तुत मामले में सीमेंट की मात्रा में औसत 25.56 प्रतिशत की कमी पाई गई है। अतएव न्यून विशिष्टि के परक्यूपाईन लेग निर्माण कार्य कराया जाना परिलक्षित होता है तथा भुगतान एकरारित दर से करने के कारण अधिकाई भुगतान होना स्वभाविक प्रतीत होता है जिसके लिए आपको जिम्मेवार माना जा सकता है।

(ii) संचालन पदाधिकारी ने विभागीय पत्रांक–3323 दिनांक 30.08.2018 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विभाग द्वारा विभागीय पत्रांक–267 दिनांक 23.01.2018 से संवेदक को किये गये कालीकृत को कार्य के कार्यान्वयन के दौरान गुणवत्ता प्रमंडल, वीरपुर द्वारा संकलित सैंपल की जाँच में सभी आंकड़े गुणवत्ता के अनुरूप प्रतिवेदित किये जाने के आलोक में संवेदक का संदेह का लाभ देते हुए आदेश ज्ञापांक–267 दिनांक 23.01.2018 को अवक्रमित करते हुए कालीकृत से मुक्त किया गया है। संचालन पदाधिकारी के उपरोक्त कथन स्वीकार योग्य प्रतीत होता है; परंतु उड़नदस्ता द्वारा स्थल से संग्रहित नमूनों के जाँच में सीमेंट की मात्रा में औसत 25.56 प्रतिशत की कमी को नजरअंदाज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

श्री रजनी रंजन, तत0 कनीय अभियंता द्वारा अभ्यावेदन के जवाब समर्पित किया गया। इनके द्वारा समर्पित जवाब में मुख्य रूप से निम्न का उल्लेख किया गया है :–

तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1045 दिनांक 06.07.1992 के अनुसार सीमेंट का निर्धारित अनुमान्य सीमा (15–20 प्रतिशत) है, जबकि उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन जिसके आधार पर इन्हें आरोपित किया गया है, के कंडिका–9.0.2 के अनुसार कंक्रीटों के नमूनों के गुणवत्ता जाँच में सीमेंट की मात्रा में औसत कमी 25.56 प्रतिशत पाई गई है जो मंत्रिमंडल (निगरानी विभाग) तकनीकी परीक्षक कोषांग के पत्रांक–2961 दिनांक 03.12.1990 के आलोक में पच्चीस प्रतिशत की भिन्नता को अनुश्रेय सीमा के अंदर कहा गया है से 0.569 प्रतिशत मामूली अधिक है। कराये गये कार्य का भुगतान कार्यपालक अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण, वीरपुर, सुपौल से प्राप्त जाँचफल में अंकित है, जो सही है।

अधीक्षण अभियंता पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा के पत्रांक–465 दिनांक 19.04.2019 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल को परक्यूपाईन का हस्तांतरण एवं लेईग किया जाना फिर इसका कारगर एवं सफल होना एवं साथ ही उस वक्त नये होने के साथ आरोपमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विभागीय समीक्षा–

इनके द्वारा अभ्यावेदन के जवाब में किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है, जिस पर विचार किया जा सके।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में सम्यक समीक्षोपरांत श्री रजनी रंजन तत0 कनीय अभियंता के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड देने का निर्णय विभाग के स्तर पर लिया गया है –

"संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक"।

अतः श्री रजनी रंजन, तत0 कनीय अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, कोपरिया को प्रमाणित आरोप के लिए निम्न दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है :–

"संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक"।

ह0/–
(बिनय कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 374 / पटना, दिनांक– 28-02-2024

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/सभी उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/सभी अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता (आई0टी0) आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, 6, 7, 8, 9, 12 एवं 22 जल संसाधन विभाग/श्री रजनी रंजन, तत0 कनीय अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, कोपरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/24
सरकार के उप सचिव